न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार शर्मा, RAS.

पत्रावली संख्या : 21 / 17 (विविध प्रा.पत्र)

1. श्री मांगीलाल पिता वागा जी कुम्हार निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
2. श्री बद्रीलाल पिता वागा जी कुम्हार निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री चुन्नीलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
2. श्री उंकार पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
3. श्री बगदीलाल पिता नारायण जी कुम्हार निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 09.05.18

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा फौजवड़ली पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर में स्थित आराजी नं. 153, 149—150—152, 151, 154 / 1, 148 / 1, 158 / 2, 159—160 / 1 किता—7 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि हम प्रार्थीगण के नाम पर हिस्सा बराबर से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित है। उक्त वर्णित भूमि के पड़ौस में

विपक्षीगणों की आराजीयात प्रार्थीगणों की आराजीयात से सटमा है । विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद करते रहते है। कभी पालियों पर घास काट लेते हैं तो कभी मवेशियॉ घुसा देते हैं जिससे आपसी विवाद बना रहता है। विपक्षीगणों को पत्थरगडी करवाने बाबत् कहा तो उन्होनें कानूनी कार्यवाही कराने हेतु कहा। इसलिए बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 20.04.17 को पैदा होकर निरंतर जारी है।

2. अतः निवेदन है कि उक्त आराजीयात की राजस्व रेकार्ड अनुसार पक्की पत्थरगडी कराई जाने हेतु तहसीलदार भीण्डर के नाम आदेश फरमाया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2050–53, नक्शा ट्रेस पेश कीये गये है ।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । प्रकरण में आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में विपक्षीगण भी उपस्थित हुए उन्होनें भी काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा फौजवड़ली पटवार मण्डल चारगदिया की आराजी नम्बर 158मी., 159–160मी. रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 146, 147, 154मी., 148मी. किता 4 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा भूमि की भी पत्थगढी करवाई जावें। प्रार्थीगण इससे सहमत है।

5. हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे हैं कि प्रार्थीगण के साथ विपक्षीगण की आराजीयात की पत्थरगढी कर दी जावे तो दोनो ही पक्षकार सहमत है।

6. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तथा विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि मौजा फौजवड़ली पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर में स्थित आराजी न. 153, 149–150–152, 151, 154/1, 148/1, 158/2, 159–160/1 किता–7 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि तथा विपक्षीगण की आराजी नम्बर 158मी., 159–160मी. रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा तथा आराजी नम्बर 146, 147, 154मी., 148मी. किता 4 रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा भूमि के चारों दिशाआ की पक्की पत्थरगडी करवाई जावे। पत्थरगडी करवाने हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगड़ी करवाने से पूर्व सभी पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र तलब किया जावे तथा यथासंभव पक्षकारान की

उपस्थिति में पत्थरगड़ी करवायी जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण मौके पर संयुक्त रूप से अदा करें।

7. तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8. निर्णय खुले ईजलास कैम्प कोर्ट ''चारगदिया'' पर सुनाया गया।

(अनिल कुमार शर्मा) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
वल्लभनगर जिला–उदयपुर